



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225219  
CG-DL-E-17022021-225219

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 79]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2021

[भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्त्र की वसूली की रीति) संशोधन विनियम, 2021]

(2021 का विनियम सं. 1)

सं. आर-40007/विनियम-वसूली/अधिसूचना/2021-सीसीआई.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 और धारा 39 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 64 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एतद्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्त्र की वसूली की रीति) विनियम, 2011 को और संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्त्र की वसूली की रीति) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्त्र की वसूली की रीति) विनियम, 2011 में,
  - विनियम 3 में, उप-विनियम(3) में “शीर्ष सं. 1475.00.105.05” अभिव्यक्ति के पश्चात आने वाली अभिव्यक्ति “उप-शीर्ष - 05” को अभिव्यक्ति “उप-शीर्ष-00” से प्रतिस्थापित किया जाए।
  - विनियमों के साथ संलग्न फार्म-1 में लेखा शीर्ष 1475.00.105.05 अभिव्यक्ति के पश्चात आने वाली अभिव्यक्ति “उप-शीर्ष - 05” को अभिव्यक्ति “उप-शीर्ष-00” से प्रतिस्थापित किया जाए।

- (3) विनियमों के साथ संलग्न फार्म-II में, स्तंभ में अभिव्यक्ति “शीर्ष 1475.00.105.05” के पश्चात स्तंभ लेखा शीर्ष के अंतर्गत अभिव्यक्ति “उप-शीर्ष - 05” को अभिव्यक्ति “उप-शीर्ष-00” से प्रतिस्थापित किया जाए।

एस. घोष दस्तीदार, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./513/2020-21]

**टिप्पणी :** प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 8 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या फा. सं. आर-40007/विनियम-वसूली/अधिसूचना/04-सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे। बाद में ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 25 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या फा. सं. आर-40007/विनियम-वसूली/अधिसूचना/04-सीसीआई के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

## THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2021

#### [The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2021]

(No. 1 of 2021)

**No. R-40007/Reg-Recovery/Noti/2021-CCI.** - In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub-Section (2) of Section 64, read with Section 36 and Sub-Section (1) of Section 39 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011,-
  - (1) In Regulation 3, in Sub-regulation (3), the word “Sub-Head – 05” appearing after the word “Head No. 1475.00.105.05” shall be substituted with the word “Sub-Head-00”.
  - (2) In Form-1 appended to the regulations, the word “Sub-Head -05” appearing after the words in the account head 1475.00.105.05, shall be substituted with the word “Sub-Head-00.”
  - (3) In Form-II, appended to the regulations, under the column head of account, “Sub-Head 05” appearing after the words “Head 1475.00.105.05”, in column, shall be substituted with the word “Sub-Head 00.”

S. GHOSH DASTIDAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./513/2020-21]

**Note :** The Principal Regulations were published vide Notification No. F. No. R-40007/Reg-Recovery/Noti/04-CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 8th February, 2011. Subsequently, amended vide Notification No. F. No. R-40007/Reg-Recovery/Noti/04-CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th June, 2014.